[illegible] प्रस्तुत हुई। [illegible] आदेश 07 नियम 11 [illegible] प्रतिवादी [illegible] इस आशय का [illegible] सिविल प्रक्रिया संहिता [illegible] प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 [illegible] पेश किया गया है। यह प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा [illegible] इकरारनामे के आधार पर पेश किया गया [illegible] खसरा नम्बर 679 पत्र गलत व फर्जी इकरारनामे [illegible] श्रीमान में आराजी [illegible] 1 बीघा 15 बिस्वा कि वादी द्वारा दावा न्यायालय [illegible] साबिक नम्बर 594 रकबा [illegible] प्रस्तुत किया गया है रकबा 88 एयर जिसका [illegible] तहसील [illegible] की [illegible] प्रस्तुत किया गया है दावे में वाके ग्राम [illegible] के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि जो दावा इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत [illegible] करना बताया गया है उक्त आराजी को अपनी माता के नाम से खरीद करना बताया गया है जबकि ऐसे दावे न्यायालय श्रीमान को सुनने का कतई क्षेत्राधिकार नही है। वादी ने कोर्ट फीस बचाने के लिए न्यायालय श्रीमान में यह दावा पेश किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है ना ही न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि यह कि चरण संख्या 2 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है स्वीकार नही है। मिन वादी ने दावा व प्रार्थना पत्र गलत व फर्जी इकरारनामे के आधार पर पेश नही किया है। बल्कि इकरारनामा सही व सत्य दस्तावेज है, जिसके आधार पर दावा सही तथ्यों के साथ दायर किया गया है। यह कि चरण संख्या 3 जिस तरह वर्णित किया है, आंशिक रूप से स्वीकार है। जिमन हाजा में यह गलत अंकित किया है कि दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हैं। यह भी गलत अंकित किया हैं कि वादी ने कोर्ट फीस से बचने के लिए दावा पेश किया हो। बल्कि प्रतिवादी ने बराय बदयांति महज दावे में विलंब व तवालत पैदा करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि दावा विधिक रूप से माननीय न्यायालय में चलने योग्य है और माननीय न्यायालय के सुनवाई के योग्य हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतिरिक्त कथन में यह वर्णित किया है कि प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित आराजी प्रतिवादी की खातेदारी आराजी नहीं है बल्कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खानचन्द पुत्र मंशाराम की गैरखातेदारी की थी जो मिसल बंदोबस्त संवत 2020 के क्रम संख्या 123 पर दर्ज है। बंदोबस्त संवत 2020 के बाद जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से व गलत प्रकार से जमाबंदी संवत 2027 के खाता संख्या स. 27 में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया, जो कि बिना किसी न्यायालय आदेश व बिना किसी इंतकाल के सहवन से विधि विरुद्ध तरीके से किया गया। इसलिए वादी ने सही प्रकार से दावा दायर किया है। यह कि राजस्थान सरकार के परिपत्र प. 1 (15) राज. पुर्नवास/2009 दिनांक 30.03.2012 में यह व्यवस्था दी गई है कि निष्क्रान्त भूमि (कस्टोडियन भूमि) काबिज गैरखातेदार, पट्टेदार, मौरूसी, गैर मौरूसी को नियमितिकरण शुल्क शास्ति राशि जमा करवाकर खातेदारी प्रदान की जावें। यह कि प्रतिवादी द्वारा दौराने दावा विवादित आराजी का बेचान कर एक बेजा विवाद पैदा किया है जबकि वादी द्वारा दावा दिनांक 27.03.2024 को पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादी की तलबी के बाद प्रतिवादी ने विवादित आराजी 1/2 हिस्से का बेचान किया है, जो विधि विरूद्ध तथा बिना अधिकार व बिना कब्जा बेचान किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र का पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय प्रतिवादी मय विशेष हर्जा खारिज

फरमाया जावे । कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि प्रार्थी किशनलाल खातेदार काश्तकार है जिसका नाम जरिये नामान्तरकरण दीर्घावधि से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादी द्वारा जो दावा लाया गया है वह सन 1963 के एक अपंजीकृत ईकरारनामे के आधार पर लाया गया है। जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यदि वादी के पास वैद्य इकरारनामा था तो उसे अपने नाम बैयनामा करवाना चाहिए था। सनद पट्टा के आधार पर हुए नामान्तरकरण से दिनांक 03.06.1969 को गोदाराम पुत्र दल्लाराम (प्रार्थी के पिता) को खातेदारी स्वीकार हो चुकी थी जिसके उपरान्त पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 15.10.1970 से उक्त आराजी प्रार्थी को प्राप्त हुई हैं। माननीय न्यायालय एडीएम अलवर द्वारा खारिज अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील लम्बित है।

दौरान बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि सम्वत् 2020 की जमाबन्दी खानचन्द पुत्र भागमल के नाम थी जिनसे हमने इकरारनामा करवाया था। आराजी खसरा नम्बर साबिक 594 खानचन्द की आराजी थी और तत्समय आराजी कस्टोडियन भूमि थी। कस्टोडियन भूमि के संबंध में परिपत्र दिनाक 30.3.2012 के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही किया जाना वर्णित किया गया है। आराजी पर हमारा कब्जा है और दौरान दावा व स्थगन आदेश प्रतिवादी संख्या 1 बेचान कर नामान्तरकरण दर्ज करवाये है जिन्हें अपील में माननीय न्यायालय एडीएम अलवर द्वारा खारिज कर दिया गया है। आराजी मुतनाजा बाबत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी जिसमें एफआर लग चुकी है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। वादी द्वारा वाद मूलतः ईकरारनामे के आधार पर कस्टोडियन भूमि के संबंधी परिपत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अनुतोष से संबंधित है। वादी का वाद में कथन है कि उसकी माता मैना ने जरिये इकरारनामा दिनांक 16.08.1963 से खानचन्द पुत्र मंशाराम से आराजी मुतनाजा को क्रय कर लिया था तथा आराजी पर काबिज रही थी और अब उसकी माता के देहान्त के उपरान्त वह तनहा आराजी पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पूर्व से गैर–खातेदारी की आराजी रही है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने तात्कालीन राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 खाता सं. 27 में विवादित आराजी को बिना सक्षम आदेश अपने नाम करवा लिया। तत्समय बैयनामा नहीं हो सका था इसलिए अब कस्टोडियन भूमि के संबंधी परिपत्र के अनुसार उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें। अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का जबाव भी इसी आशय का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं.1 (प्रार्थी) द्वारा नामान्तरकरण सं. 60 स्वीकृत दिनांक 3.6.1969 तथा पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 15.10.1970 की छायाप्रति के अवलोकन यह जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण से सनद के आधार पर विवादित आराजी सहित अन्य अनेक आराजी खसरा नम्बर खानचन्द पुत्र मंशाराम खत्री सा. देह गैर खातेदार के स्थान पर गोदाराम पुत्र ढल्लाराम खत्री सा. देह खातेदारी स्वीकृत हुई है। पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 15.10.1970 गोदाराम पुत्र ढल्लाराम द्वारा अपने पुत्र किशनलाल के पक्ष में करवाया गया है।

अधिकारी
रामगढ़

मोहरखां | किशनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि विवादित आराजी को नामान्तरकरण से सनद के आधार पर अन्य अनेक आराजी खसरा नम्बर सहित खानचन्द पुत्र मंशाराम खत्री सा. देह गैर खातेदार के स्थान पर गोदाराम पुत्र ढल्लाराम खत्री सा. देह खातेदारी दिनांक 03.06.1969 को स्वीकृत हो चुकी हैं। अर्थात वर्तमान में आराजी गैर खातेदारी की श्रेणी में नही है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी (प्रतिवादी सं.–1) किशनलाल की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर के रूप में दर्ज है। अप्रार्थी (वादी) कस्टोडियन भूमि के संबंध परिपत्र के आधार पर अनुतोष चाहता है जबकि राजस्थान सरकार के परिपत्र प. 1 (15) राज. पुर्नवास/2009 दिनांक 30.03. 2012 के अनुसार ऐसी संपत्तियों पर 2012 से काबिज बैद्य आवंटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2012–2019 तक पट्टेदार, मौरूसी, गैर मौरूसी, रहन मुर्तहन के नाम से दर्ज थे तथा सम्वत् 2019–2020 के भू–प्रबन्ध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये तथा आज तक राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार दर्ज है के संबंध में खातेदारी अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। प्रकरण में विवादित आराजी तद्नुसार दर्ज नहीं है वरन् सनद के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार परिवर्तन हो चुका है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित आराजी वादी द्वारा उल्लेखित परिपत्र के परिक्षेत्र में नही है और प्रकरण वस्तुतः इकरारनामे के क्रियान्वयन से संबंधित रह गया है। और इकरारनामे के आधार पर सुनवाई कर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अतः समग्र रूप से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
समदड़ी